न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R. 5155-पी/15

(रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा की जावेगी)

रामदरस तनय पन्नलाल , उम्र– 45 वर्ष, पेशा– व्यापार निवासी ग्राम खटखरी, तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. उर्मिला पुत्री स्व0 रामचन्द्र पति स्व0 श्यामलाल उम्र–55 वर्ष, पेशा घरू कार्य, निवासी ग्राम खटखरी, तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)
2. विवेक वर्मा तनय श्री रामस्वरूप वर्मा उम्र–35 वर्ष, पेशा खेती व व्यापार निवासी उर्रहट, रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
3. काशी प्रसाद कुशवाहा तनय स्व0 सूर्यदीन कुशवाहा, उम्र– 48 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम देवरा/खटखरी, तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

...............**गैर निगरानीकर्ता गण**

श्री विवेक कुमार मिश्रा
एड. द्वारा पेश/ 9-11-15

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्र.क. 388/अपील/14–15 आदेश दिनांक 27.06.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में निम्न हैं:–

यह कि मौजा खटखरी अन्तर्गत स्थित भूमि नं0 418 रकवा 0.482 हे0, 419 रकवा 0.053 हे0, 420 रकवा 0.020 हे0, 506 रकवा 0.137 हे0, 507/1 रकवा 0.123 हे0, 508 रकवा 0.050 हे0 कुल किता 6 विक्रीशुदा रकवा 0.0875 हे0 जो कि निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता क. 1 की पैतृक संपत्ति है किन्तु उक्त भूमियों का स्वत्व का निराकरण आज दिनांक तक कई न्यायालयों में विचाराधीन है जिसके चलते सारी भूमियां आज दिनांक तक निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता क्र. 1 व अन्य परिवार के कई लोगों के नाम राजस्व अभिलेखों में संयुक्त खाते के रूप में दर्ज हैं, बावजूद इसके गैर निगरानीकर्ता क. 1 ने संयुक्त खाते में दर्ज भूमियों को अनाधिकृत रूप से दिनांक 28.06.12 को गैर निगरानीकर्ता क. 2 व 3 को विक्री कर दिया। विक्री

एड. विवेक मिश्रा

रामदरस / उर्मिला गौर।

R. 5155-दो/15 रीवा

25

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
20-1-16 (9)	1- आवेदक अभिभाषक श्री विवेक कुमार मिश्रा सूचना उपरान्त उपस्थित नहीं है अगली पेशी तक इंतजार किया जावे। यदि अगली पेशी में उपस्थित नहीं होंगे तब प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया जावेगा। 2. वास्ते वापसी पर तर्क। पेशी तारीख 21-4-16 सदस्य.	
21-4-16 (23)	1. आवेदक अभिभाषक श्री विवेक कु. मि. उपस्थित। 2. माननीय सदस्य महो० का रीवा आगमन नहीं हो सका 3. वास्ते वापसी पर तर्क। पेशी तारीख..12-5-16 आज्ञा से रीडर राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा	21/4/16 (वास्ते अ...)
12-5-16	प्रकरण में आवेदक अधि० को ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण में प्रथमदृष्टया आवेदक अधिवक्ता निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। द०दा०नि०हो। सदस्य	12/5/16